आई० डी० सं० – 013/25-26

बिहार सरकार

वित्त विभाग

सूचना का अधिकार (अधिनियम, 2005)

सूचना का अधिकार

पत्रांक–3बी–13 (सू०अ०)–01/2025– 423 **/वि०**

प्रेषक,

सुरेन्द्र ठाकुर,
अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी,
प्रशाखा–3बी, वित्त विभाग, बिहार, पटना।

3933401
08.04.2025

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 04/04/2025

विषय :– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपुर्यक्त विषयक श्री मनीष कुमार, सूचना आवेदक का आवेदन प्रपत्र–'क' दिनांक–05.03.2025 (आई0डी0सं0–664/2024–25 दिनांक–19.03.2025) में सूचना पथ निर्माण विभाग से संबंधित है। अतः आवेदन प्रपत्र 'क' मूल रूप में आवश्यक कायार्थ आपको हस्तांतरित किया जाता है।

अनु0:यथोक्त

विश्वासभाजन

03/4/2025

(सुरेन्द्र ठाकुर)
अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी,
प्रशाखा–3बी, वित्त विभाग।

709 आ०
09/04/25

3B/L. Folder-02-04-2025\Rohit\01

(Comp.-dilip)

①

Form A

See Rule 3(1)

Application for Right To Information

Application No **BR250305362389** (Office Use Only)

e-3844505
19/03/2025

To,

Public Information Office

Department : **Finance Department**

आई0डी0सं0- 664
दिनांक- 19/03/2025

1. Application Name : **MANISH KUMAR**

2. Address : **C/O- C P DEO, DEO BHAWAN, IN FRONT OF E-11, KOSHI COLONY, WARD NO.-1, AT-POST-BIRPUR, DIST.- SUPAUL, BIHAR, 854340,**
District - SUPAUL Block - NAGAR PANCHAYAT Panchayat - BIRPUR
Village - Pin - 854340 State - Bihar

Information Sought

(1) किसी अन्य विभाग से सेवा वापसी एवं अन्य कारणों से स्थानांतरित होकर अपने विभागीय मुख्यालय पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना में योगदान देने से लेकर पदस्थापन होने तक की अवधि का (पदस्थापन की प्रतीक्षा में विभागीय मुख्यालय, पटना में रहने की स्थिति में) किसी कनीय अभियंता तथा सहायक अभियंता को पटना शहर में देय भत्ते या पूर्व पदस्थापित स्थान पर देय भत्ते या पदस्थापन होने के पश्चात वाले स्थान पर देय भत्ते- इन तीनों में से किस स्थान पर देय भत्ते दिए जाने का प्रावधान है, इस संबंध में कृपया स्पष्ट सूचनाऐं दी जाय L (2) कंडिका-(1) में वर्णित, पदस्थापन की प्रतीक्षा में अपने विभागीय मुख्यालय, पटना में रहने की अवधि का, किसी कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को वर्तमान समय में कौन-कौन से भत्ते तथा उनकी कितनी प्रतिशत राशियां दिए जाने का प्रावधान है एवं इन्हें शहरी परिवहन भत्ता के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है, कृपया इनकी सूचनाऐं दी जाय L

PIO Reply Remarks

RTI Application....

Response Date : 11-Mar-2025 10:44 AM

3. I hereby declare that the Information I have asked for is related to your department/office and as per my knowledge it is not exempted under the sections 8 and 9 of RTI Act 2005.

4. I have paid Rs. 10/- to the Department / Office

Applicant's Details

Email Id : manishkumar151180@gmail.com

Contact No. : +91-9430250104

Address : C/O- C P DEO, DEO BHAWAN, IN FRONT OF E-11, KOSHI COLONY, WARD NO.-1, AT-POST- BIRPUR, DIST.- SUPAUL, BIHAR, 854340, District - SUPAUL Block - NAGAR PANCHAYAT Panchayat - BIRPUR
Village - Pin - 854340 State - Bihar

18.3.25

Date : 05-03-2025

STO:- 1109/F6
18/03/2025

This is system generated file, need not to be signed

पत्रांक–3ए–2–वे0पु0–09/2016../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

प्रेषक,

सुरेन्द्र ठाकुर,
अवर सचिव।

सेवा में,

वरीय लेखा अधिकारी,
प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) का कार्यालय,
महालेखाकार भवन,
वीरचंद पटेल पथ, पटना–800001

पटना, दिनांक : ....

विषयः– **वित्त विभागीय संकल्प संख्या–7831, दिनांक–22.07.2024 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–9614, दिनांक–04.09.2024 के संबंध में स्पष्टीकरण।**

महाशय,

उपर्युक्त वित्त विभागीय संकल्प संख्या–7831, दिनांक–22.07.2024 द्वारा दिनांक–11.04.2023 के उपरांत 31 दिसम्बर/30 जून को वार्धक्य सेवानिवृत होने वाले सरकारी सेवकों को 1 जनवरी/1 जुलाई को पेंशन एवं सेवान्त लाभों की गणना हेतु वैचारिक वेतनवृद्धि अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है।

2. वित्त विभागीय पत्रांक–9614, दिनांक–04.09.2024 द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है कि दिनांक–11.04.2023 के उपरांत 30 जून/31 दिसम्बर को वार्धक्य सेवानिवृत होने वाले वैसे सरकारी सेवक जिनकी वार्षिक वेतनवृद्धि की देय तिथि क्रमशः 1 जुलाई एवं 1 जनवरी है और सेवानिवृति तिथि को वेतनवृद्धि हेतु 1 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत होते है, तो उन्हें ही मात्र पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की गणना हेतु एक वैचारिक वेतनवृद्धि अनुमान्य होगा।

3. विभिन्न विभागों/हितधारकों द्वारा किसी सरकारी सेवक को प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन अथवा कार्यकारी प्रभार दिये जाने के उपरांत वेतन निर्धारण का लाभ दिया गया हो, तो वैसे सरकारी सेवक को वैचारिक वेतनवृद्धि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है।

4. उक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन अथवा कार्यकारी प्रभार मिलने पर निर्धारण लाभ अनुमान्य किये जाने की स्थिति में भी ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवानिवृति की तिथि के अगले तिथि को वेतनवृद्धि परिपक्व होती है, उन्हें पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु एक वैचारिक वेतनवृद्धि अनुमान्य की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(सुरेन्द्र ठाकुर)
अवर सचिव।

ज्ञापांक : 3ए–2–वे0पु0–09/2016 **पटना, दिनांक : ....**

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र ठाकुर)
अवर सचिव।

*D/2024//Jitendra _Letter_* *(dilip)*

प्रपत्र 'घ'

(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई०डी०सं०–13/25–26** **पटना, दिनांक–** 30/4/25

2743(E)

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट सेवा में,

श्री मनीष कुमार,
C/O- C P Deo,
Deo Bhawan, In Front Of E-11,
Koshi Colony, Ward No-1,
AT+Post-Birpur,
Dist-Supaul, Pin-854340,
Mob-9430250104

महाशय,

यह आपके सूचना आवेदन दिनांक–05.03.2025 जो वित्त विभाग के पत्रांक–423 दिनांक–04.04.2025 से स्थानांतरित होकर इस विभाग में दिनांक–08.04.2025, को प्राप्त हुआ है, **(आई०डी०सं०–13/25–26)** में देय/अदेय सूचना के संबंध में है :–

2. याचित सूचना संबंधी प्रतिवेदन **प्रशाखा पदाधिकारी**, **प्रशाखा–02**, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2644 (E) दिनांक–28.04.2025 एवं **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03**, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2579 (E) दिनांक–24.04.2025 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक– 2743(E) पटना, दिनांक– 30/4/25

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 03 पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०.................
....
दिनांक ....

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या : प्र०2 / स्था०–सूचना–20–09 / 2025 2644(E) पटना, दिनांक 28/4/25

प्रेषक,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय : **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत श्री मनीष कुमार का आवेदन दिनांक 05.03.2025 (आई०डी० संख्या–13 / 25–26) द्वारा मांगी गयी सूचना के संबंध में।**

प्रसंग : भवदीय के पत्रांक–लो०सू०को० / आई०डी०सं०–13 / 25–26–2336 (ई) अनु० दिनांक 15.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयांकित सूचना आवेदन के संबंध में कहना है कि आवेदक द्वारा किसी अन्य विभाग से सेवा वापसी एवं अन्य कारणों से स्थानान्तरित होकर अपने विभागीय मुख्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में योगदान देने से लेकर पदस्थापन होने तक की अवधि का (पदस्थापन की प्रतीक्षा में विभागीय मुख्यायल, पटना में रहने की स्थिति में) किसी कनीय अभियंता तथा सहायक अभियंता को पटना शहर में देय भत्ते या पूर्व पदस्थापित स्थान पर देय भत्ते या पदस्थापन होने के पश्चात वाले स्थान पर देय भत्ते–इन तीनों में से किस स्थान पर देय भत्ते दिय जाने का प्रावधान है ? की सूचना मांगी गयी है।

उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–2 (च) के अनुसार सूचना अर्थ किसी रूप में धारित कोई अभिलेख / सामग्री से है तथा धारा–2 (ञ) के अनुसार सूचना के अधिकार का अर्थ उक्त धारित अभिलेख / सामग्री की अधिप्राप्ति से है। आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना के अनुरूप कोई अभिलेख / सामग्री धारित नहीं है। ज्ञात हो कि अपील संख्या–10 / 01 / 2005–सी०आई०सी० / दिनांक 25.02.2006 में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा–2 (च) की व्याख्या करते हुये यह स्पष्ट किया गया है कि **"यदि विशिष्ट रूप में याचित सूचना अनुपलब्ध हो तो, इसे आवेदक की माँग के अनुरूप सृजित नहीं किया जायेगा।"**

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना किसी सामग्री के रूप में संधारित नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा–2 (च) के आलोक में सूचना के अन्तर्गत नहीं आता।

विश्वासभाजन

28-04-25
प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

30.04.25

D:\BINOD FOLDER (SECTION-2) PRAVIN KUMAR SUCHANA KA ADHIKAR 2024.DOC

14

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

24/4/25

पत्र सं0–प्र0 3/सू0–13–08/2025 2579 (E) पटना, दिनांक :–

प्रेषक,

प्रशाखा पदाधिकारी–03,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत श्री मनीष कुमार का सूचना आवेदन दिनांक–15.04.2025 को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। (आई0डी0 सं0–13/2025–26)**

प्रसंग :– आपका पत्रांक–2336 (ई) अनु0, दिनांक–15.04.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आवेदक द्वारा माँगी गई सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियम–2 (च) के अंतर्गत सूचना की श्रेणी में नहीं है। अतः याचित सूचना देय नहीं है।

अनुरोध है कि आवेदक को अपने स्तर से सूचित किया जाय।

विश्वासभाजन,

24/4/2025

प्रशाखा पदाधिकारी–03,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

29.04.25

D:\AMIT-2021\Dolly Kumari\Lok Suchna letter-2025.docx Letter-2025

प्रपत्र 'ज'

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पटना, दिनांक– 15/4/25

पत्र संख्याः–**लो.सू.को. / आई०डी०सं०–13 / 25–26**

2336(E)

प्रेषकः

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D/S Komal (15.04.2025)

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 03,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री मनीष कुमार का सूचना आवेदन दिनांक–05.03.2025 जो वित्त विभाग के पत्रांक–423 दिनांक–04.04.2025 से स्थानांतरित होकर इस विभाग में दिनांक–08.04.2025, को प्राप्त हुआ है। संलग्न किया जाता है, **(आई०डी०सं०–13 / 25–26)।**

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन याचित सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा–**5 (4)** के आलोक में प्रपत्र–'क' को आपके क्षेत्राधिकार / प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा–**5 (5)** के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र–'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के आलोक में वांछित सूचना **दो सेट में** अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

<u>अनु०–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन

Komal 15/4/25

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक– 2336(E)

दिनांक– 15/4/25

प्रतिलिपि : **उप सचिव (प्र०को०), प्रभारी प्रशाखा–02, एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03,** पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Komal 15/4/25

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०..................
....
दिनांक–..................

D:\R.T.I. Section-32\Komal-32\R.T.I. FOLDER TILL-2024\praptra.-Ja.docx